

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल  
विज्ञापन क्रमांक 314 / सम्पदा/भोविप्रा/2026

भोपाल, दिनांक 06/04/2026

भूखण्ड हेतु ऑफर आमंत्रण

प्राधिकरण की सरदार वल्लभ भाई पटेल मिसरोद फेस-2, योजना स्थित भूखण्डों का विक्रय निम्न तालिकों में वर्णित होकर ऑनलाईन वेबसाइट <https://Vikaspradhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से ऑफर दिनांक 07/04/2026 से दिनांक 07/04/2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर/आवेदन पत्र दिनांक 22/04/2026 12:00 को खोले जायेंगे।

क्रं	भूखण्ड/ईकाईयों का विवरण	भूखण्ड/ईकाईयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्गमी0	आरक्षण की श्रेणी	भूखण्ड/ईकाई की आरक्षित कीमत	पट्टे (लीज) पर या भूमि स्वामी अधिकार पर	निकषेप रकम (पंजीयन राशि)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A-L83	आवासीय	60	सामान्य	18,00,000/-	भूमिस्वामी अधिकार	1,80,000/-

नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

1. सफल पंजीयनकर्ताओं को ऑन लाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
2. भूखण्ड पर भारित सम्पत्ति कर एवं पुनर्निर्धारण शुल्क (भू-राजस्व प्रीमियम राशि) पृथक से देय होगा।
3. भूखण्ड पर भारित रहवासी समिति शुल्क तय अनुसार रजिस्ट्री पूर्व अंतिम किश्त में पृथक से देय होगा।
4. जल प्रदाय स्ट्रीट लाईट एवं साफ-सफाई संचालन मद में 24 माह की राशि अग्रिम आधिपत्य के पूर्व पृथक से देय होगी।
5. सम्पत्ति भू-स्वामी अधिकार पर विक्रय हेतु है।
6. अन्य लागू टेक्स शासन नियमानुसार देय होगी।
7. आयकर अधिनियम 194/1ए अनुसार 50 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर 1 प्रतिशत आयकर (टीडीएस) की राशि ऑफर मूल्य पर कटौत कर आयकर कार्यालय में जमा कर फार्म 16-ए की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. ऑफर स्वीकृति राशि मूल्य का 90 प्रतिशत पंजीयन राशि के समायोजन सहित आवंटन आदेश जारी होने के 45 दिवस के अन्दर निर्धारित समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा।
9. शेष राशि प्राधिकरण द्वारा मांग पत्र अनुसार देय होगी।
10. ऑफर स्वीकृति अनुसार मांग पत्र जारी होने पर निर्धारित अवधि में राशि जमा न किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने की दशा में सम्पूर्ण पंजीयन राशि राजसात की जावेगी।
11. प्रचलित व्ययन नियम में वर्णित नियम एवं प्रावधान मान्य होंगे।
12. सभी भूखण्डों का क्षेत्रफल अनुमानित है।
13. भूखण्डों का विक्रय यथास्थिति में प्रस्तावित है। भूखण्डों का स्थल निरीक्षण कर ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
14. भूखण्ड की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेशानुसार देय होगी, तथा आवंटन आदेश में वर्णित शर्तें मान्य होगी।
15. शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तें पंजीयनकर्ताओं/आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा।
16. वेबसाइट पर घोषित विज्ञापित की शर्तें मान्य होगी।
17. विवाद की स्थिति में अध्यक्ष भोविप्रा का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

सम्पदा अधिकारी  
भोपाल विकास प्राधिकरण  
भोपाल